(87)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(28)नवि/3/96

जयपुर दिनांक : 18.8.2001

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 65 के तहत प्रदत्त-शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1.8.2001 जिसके द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की दरें निर्धारित की गई थी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. पैरा संख्या 1 (ख) में शब्द की प्रथम पंक्ति में ''आवासीय से'' के पश्चात् एवं शब्द ''किसी अन्य'' से पूर्व शब्द ''वाणिज्यिक के अतिरिक्त'' जोड़े जाते हैं।

2. पैरा 1 (ख)(11) की तृतीय पंक्ति में विद्यमान शब्द ''नियम'' के स्थान पर शब्द ''अधिसूचना'' प्रतिस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एच.एस. भारद्वाज)
शासन उप सचिव

(177)

(201)